जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2017/डी–2012 दिनांकः– 14/9/2017

यूनिक बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स (अजय) की ओर से
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री चन्द्रमोहन शर्मा,
8वीं मंजिल, माईल स्टोन,
बापू नगर, जयपुर।

विषयः– भूखण्ड संख्या सी.एम.–1, खसरा नम्बर 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 90, 91 व 92, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन के 15 मीटर ऊँचाई तक के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2017 के संदर्भ में जो प्रस्ताव भूखण्ड संख्या सी.एम.–1, खसरा नम्बर 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 90, 91 व 92, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड (10,010.47 वर्गमीटर क्षेत्रफल) पर 15 मीटर ऊँचाई (भूतल + 04 तल) के मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन के 15 मीटर ऊँचाई तक के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 195वीं बैठक दिनांक 28.07.2017 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ दी जाती हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा अगस्त–2021 (मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सामान्य शर्त संख्या 3 (A) के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन–09 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 09 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 से संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें।
15. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रेक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।

E:\New Folder\bpc-2\bpc\Section letter\Afordable.doc

Scanned by CamScanner

16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
18. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच की जाए।
19. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
20. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
21. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
25. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे तथा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
26. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
27. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (06 मानचित्र)

भवदीय
14/9/17

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

E:\New Folder\bpc-2\bpc\Section letter\Afordable.doc

Scanned by CamScanner

SHEET NO. 01

SITE PLAN

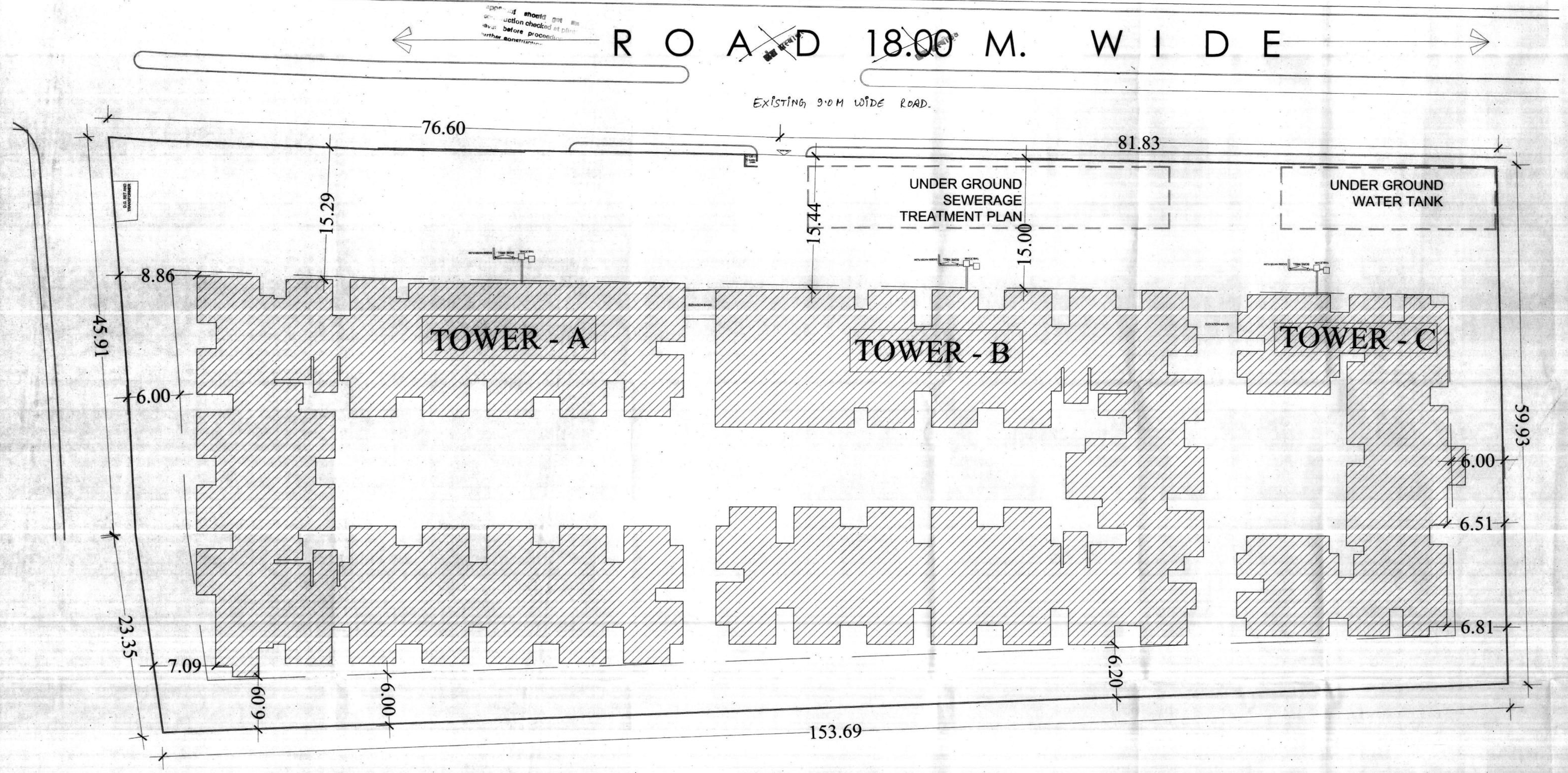

AREA CALCULATION (ALL TOWERS)PART - 01

PLOT AREA	10010.47 SQ.MTR.
SETBACK	FRONT -15 MT. ALL SIDE - 6.00 MT.

TOWER-A

FLOOR	GROSS	FIRE	BALCONY	BUIT UP	LIFT	STAIR	CORRIDOR	COMMERCIAL	COMMUNITY	F.A.R.
GROUND	1737.40	23.94	61.20	1652.26	12.00	24.91	193.19	209.43	0.00	1422.15
FIRST	1706.20	23.94	54.25	1628.01	12.00	24.91	193.19	0.00	0.00	1397.90
SECOND	1706.20	23.94	54.25	1628.01	12.00	24.91	193.19	0.00	0.00	1397.90
THIRD	1706.20	23.94	54.25	1628.01	12.00	24.91	193.19	0.00	0.00	1397.90
FOURTH	1706.20	23.94	54.25	1628.01	12.00	24.91	193.19	0.00	0.00	1397.90
TERRACE	99.64									
TOTAL	8661.83	119.68	278.22	8164.30	60.00	124.55	965.97	209.43	0.00	7013.77

TOWER-B

FLOOR	GROSS	FIRE	BALCONY	BUIT UP	LIFT	STAIR	CORRIDOR	COMMERCIAL	COMMUNITY	F.A.R.
GROUND	1635.56	23.94	43.48	1568.14	12.00	24.91	162.69	0.00	241.10	1127.44
FIRST	1598.91	23.94	50.71	1524.27	12.00	24.91	181.31	0.00	0.00	1306.05
SECOND	1598.91	23.94	50.71	1524.27	12.00	24.91	181.31	0.00	0.00	1306.05
THIRD	1598.91	23.94	50.71	1524.27	12.00	24.91	181.31	0.00	0.00	1306.05
FOURTH	1598.91	23.94	50.71	1524.27	12.00	24.91	181.31	0.00	0.00	1306.05
TERRACE	99.64									
TOTAL	8130.85	119.68	246.31	7665.22	60.00	124.55	887.92	0.00	241.10	6351.65

TOWER-C

FLOOR	GROSS	FIRE	BALCONY	BUIT UP	LIFT	STAIR	CORRIDOR	COMMERCIAL	COMMUNITY	F.A.R.
GROUND	674.94	13.20	19.77	641.97	6.00	9.52	99.39	0.00	0.00	527.07
FIRST	674.94	13.20	19.77	641.97	6.00	9.52	99.39	0.00	0.00	527.07
SECOND	674.94	13.20	19.77	641.97	6.00	9.52	99.39	0.00	0.00	527.07
THIRD	674.94	13.20	19.77	641.97	6.00	9.52	99.39	0.00	0.00	527.07
FOURTH	674.94	13.20	19.77	641.97	6.00	9.52	99.39	0.00	0.00	527.07
TERRACE	53.43									
TOTAL	3428.12	66.00	98.84	3209.85	30.00	47.58	496.93	0.00	0.00	2635.33

TOWER-A,B & C

FLOOR	GROSS	FIRE	BALCONY	BUIT UP	LIFT	STAIR	CORRIDOR	COMMERCIAL	COMMUNITY	F.A.R.
GROUND	4047.89	61.07	124.45	3862.37	30.00	59.34	455.28	209.43	241.10	3076.66
FIRST	3980.05	61.07	124.73	3794.25	30.00	59.34	473.89	0.00	0.00	3231.02
SECOND	3980.05	61.07	124.73	3794.25	30.00	59.34	473.89	0.00	0.00	3231.02
THIRD	3980.05	61.07	124.73	3794.25	30.00	59.34	473.89	0.00	0.00	3231.02
FOURTH	3980.05	61.07	124.73	3794.25	30.00	59.34	473.89	0.00	0.00	3231.02
TERRACE	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20220.80	305.36	623.37	19039.36	150.00	296.70	2350.83	209.43	241.10	16000.75

L.I.G AREA CALCULATION (TOWER A)

S.NO.	FLAT.NO. OF E.W.S./ L.I.G	B.U.A. OF EACH FLAT UNIT	SUPER B.U.A. OF EACH FLAT UNIT	CARPET AREA	NO. OF FLAT UNIT	TOTAL B.U.A. OF FLAT UNIT	TOTAL SUPER B.U.A. OF FLAT UNIT	TOTAL CARPET OF FLAT UNIT
GROUND FLOOR								
1.	L.I.G-GROUND, 1 TO 11&13 TO 16 18 TO 26	45.22	55.09	40.53	24	1085.28	1322.16	972.72
2.	L.I.G-GROUND, 12	33.54	43.39	30.05	01	33.54	43.39	30.05
3.	L.I.G-GROUND, 17	42.20	52.03	37.74	01	42.20	52.03	37.74
					26	1161.02	1417.58	1040.51
FIRST TO 4TH FLOOR PLAN								
1.	L.I.G - TYPICAL, FIRST TO 4TH	45.22	55.09	40.53	30 X 4 = 120	1356.60 X 4 = 5426.40	1652.70 X 4 = 6610.80	1215.90 X 4 = 4863.60
	GRAND TOTAL				146	6587.42	8028.38	5904.11

L.I.G AREA CALCULATION (TOWER B)

S.NO.	FLAT.NO. OF E.W.S./ L.I.G	B.U.A. OF EACH FLAT UNIT	SUPER B.U.A. OF EACH FLAT UNIT	CARPET AREA	NO. OF FLAT UNIT	TOTAL B.U.A. OF FLAT UNIT	TOTAL SUPER B.U.A. OF FLAT UNIT	TOTAL CARPET OF FLAT UNIT
GROUND FLOOR								
1.	L.I.G-GROUND, 1 TO 11&13 TO 16 18 TO 26	45.22	55.09	40.53	24	1085.28	1322.16	972.72
					24	1085.28	1322.16	972.72
FIRST TO 4TH FLOOR PLAN								
1.	L.I.G - TYPICAL, FIRST TO 4TH	45.22	55.09	40.53	28 X 4 =112	1266.16 X 4 = 5064.64	1542.52 X 4 = 6170.08	1134.84 X 4 = 4539.36
	GRAND TOTAL				136	6149.92	7492.24	5512.08

E.W.S. AREA CALCULATION (TOWER C)

S.NO.	FLAT.NO. OF E.W.S./ L.I.G	B.U.A. OF EACH FLAT UNIT	SUPER B.U.A. OF EACH FLAT UNIT	CARPET AREA	NO. OF FLAT UNIT	TOTAL B.U.A. OF FLAT UNIT	TOTAL SUPER B.U.A. OF FLAT UNIT	TOTAL CARPET OF FLAT UNIT
GROUND FLOOR								
1.	L.I.G-GROUND, 1 TO 11&13 TO 16 18 TO 26	25.88	34.75	22.82	20	517.60	695.00	456.40
					20	517.60	695.00	456.40
FIRST TO 4TH FLOOR PLAN								
1.	L.I.G - TYPICAL, FIRST TO 4TH	25.88	34.75	22.82	20 X 4 = 80	517.60 X 4 = 2070.40	695 X 4 = 2780.00	456.40 X 4 = 1825.60
	GRAND TOTAL				100	2588.00	3475.00	2282.00

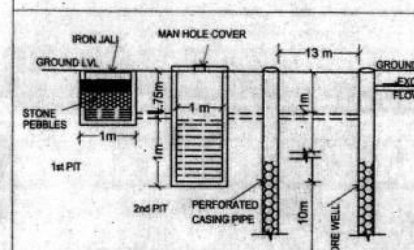

SECTION
HARVESTING STRUCTURE

DRAWING TITLE
SITE PLAN

PROJECT TITLE:-
PROPOSED E.W.S./L.I.G. BUILDING IN PLOT NO. C.M.- 1 IN KHASRA NO :- 73,74,75,77, 78, 80, 81, 90, 91 & 92 MIN PROVISION 3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJANA 2015 , VILLAGE - RAMCHANDRAPURA , TEHSIL - SANGANER , ON AJMER ROAD , JAIPUR

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705580

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Unique Builders And Developers (AJAY)
Authorised Signatory

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER | ARCHITECT

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ...195...वीं बैठक दिनांक 28/7/2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-2012 दिनांक 14/9/2017 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

SHEET NO. 02

GROUND FLOOR PLAN

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

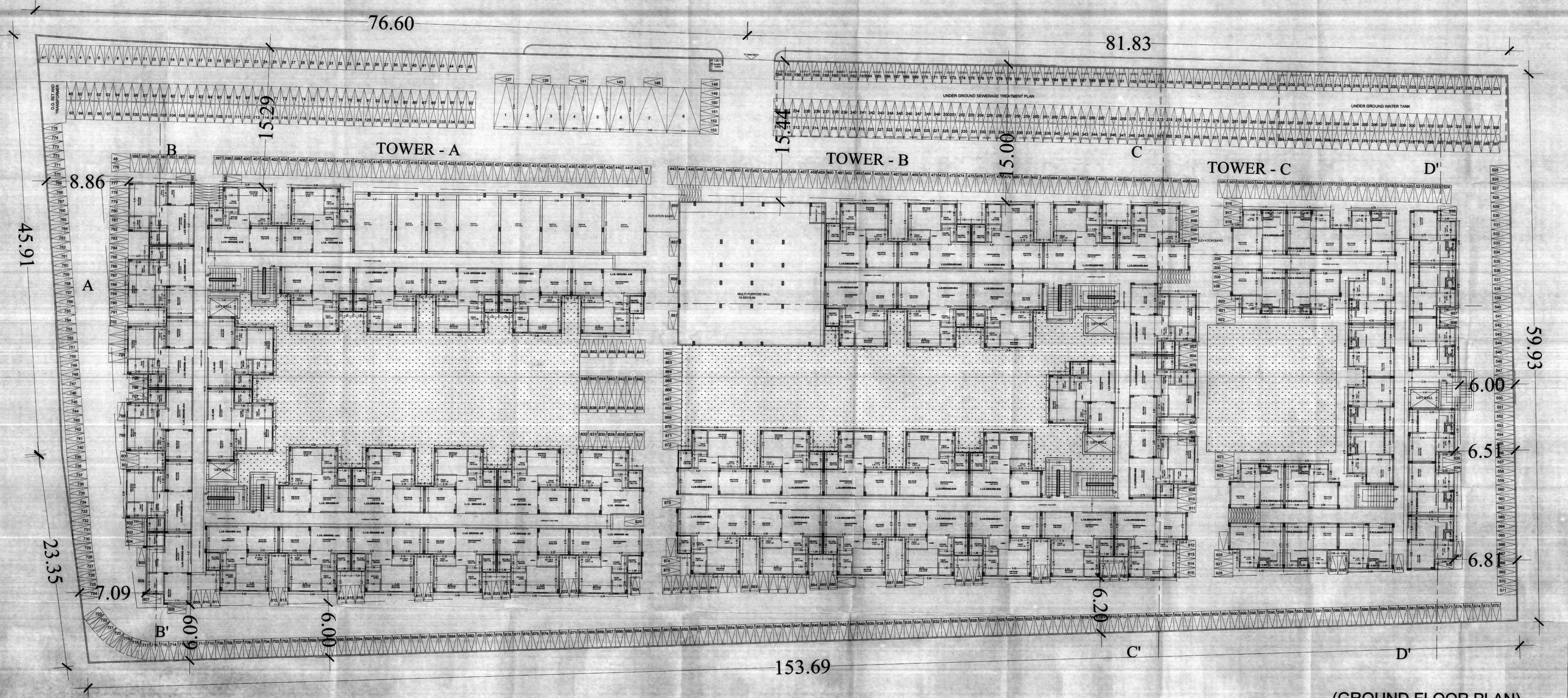

(GROUND FLOOR PLAN)

DRAWING TITLE

GROUND FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
PROPOSED E.W.S./L.I.G. BUILDING IN PLOT NO. C.M.- 1 IN KHASRA NO :- 73,74,75,77, 78, 80, 81, 90, 91 & 92 MIN PROVISION 3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJANA 2015 , VILLAGE - RAMCHANDRAPURA , TEHSIL - SANGANER , ON AJMER ROAD , JAIPUR

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705580

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER | ARCHITECT

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ...195... वीं बैठक दिनांक 28/7/2017 में लिये गये निर्णय

SHEET NO. 03

TYPICAL (FIRST TO FOURTH FLOOR PLAN)

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

TYPICAL (FIRST TO FOURTH FLOOR PLAN)

DRAWING TITLE

TYPICAL (FIRST TO FOURTH FLOOR PLAN)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED E.W.S./L.I.G. BUILDING IN PLOT NO. C.M.- 1 IN KHASRA NO :- 73,74,75,77, 78, 80, 81, 90, 91 & 92 MIN PROVISION 3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJANA 2015 , VILLAGE - RAMCHANDRAPURA , TEHSIL - SANGANER , ON AJMER ROAD , JAIPUR

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705580

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Unique Builders And Developers (AJAY)
Authorised Signatory

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

SHEET NO. 04

TERRACE FLOOR

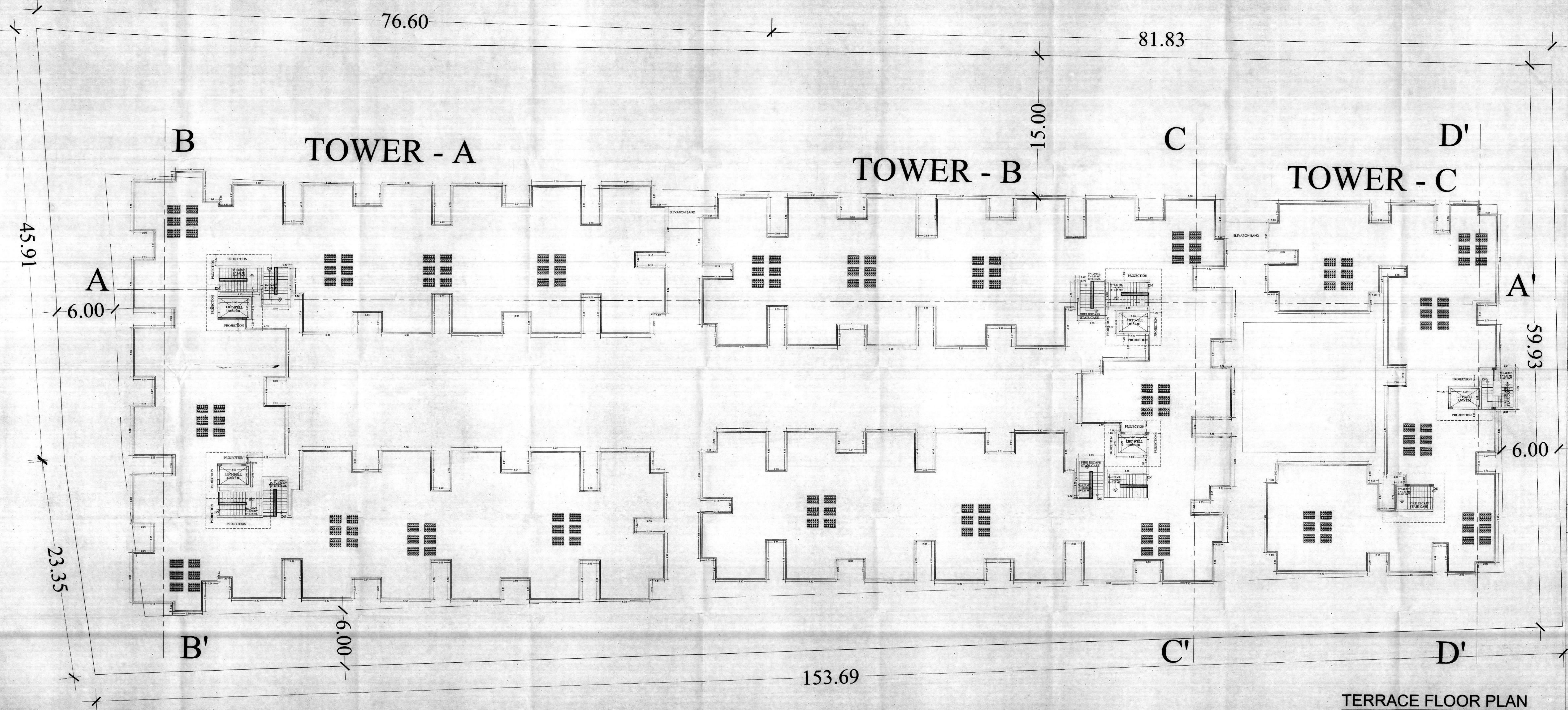

TERRACE FLOOR PLAN

DRAWING TITLE

TERRACE FLOOR

PROJECT TITLE:-
PROPOSED E.W.S./L.I.G. BUILDING IN PLOT NO. C.M.- 1 IN KHASRA NO :- 73,74,75,77, 78, 80, 81, 90, 91 & 92 MIN PROVISION 3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJANA 2015 , VILLAGE - RAMCHANDRAPURA , TEHSIL - SANGANER , ON AJMER ROAD , JAIPUR

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705580

SCALE 1:150

NORTH POINT

अनुमोदित

For Unique Builders And Developers (AJAY)
Authorised Signatory

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

SHEET NO. 05

ELEVATION

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

BACK SIDE ELEVATION

FRONT SIDE ELEVATION

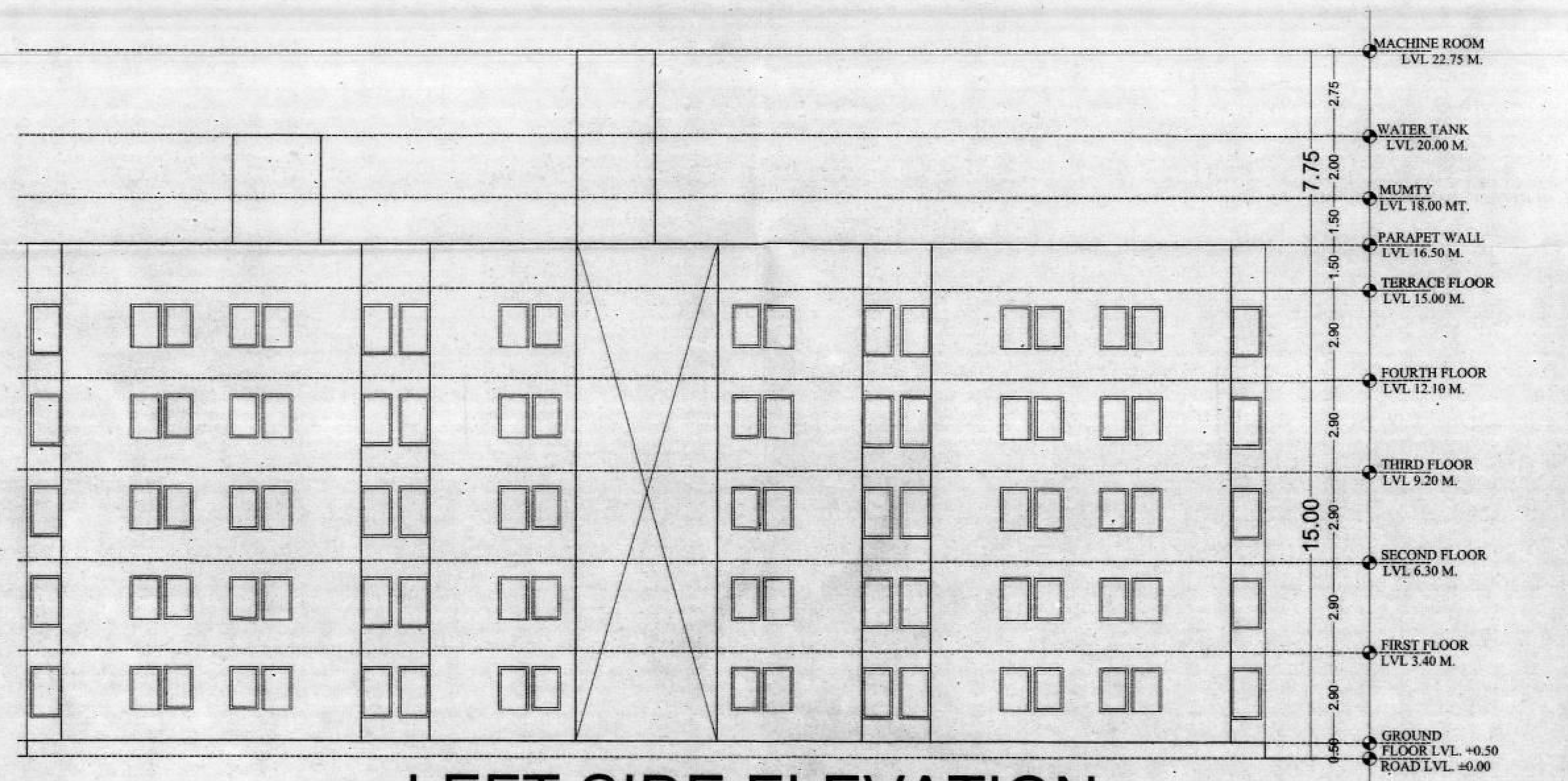

LEFT SIDE ELEVATION

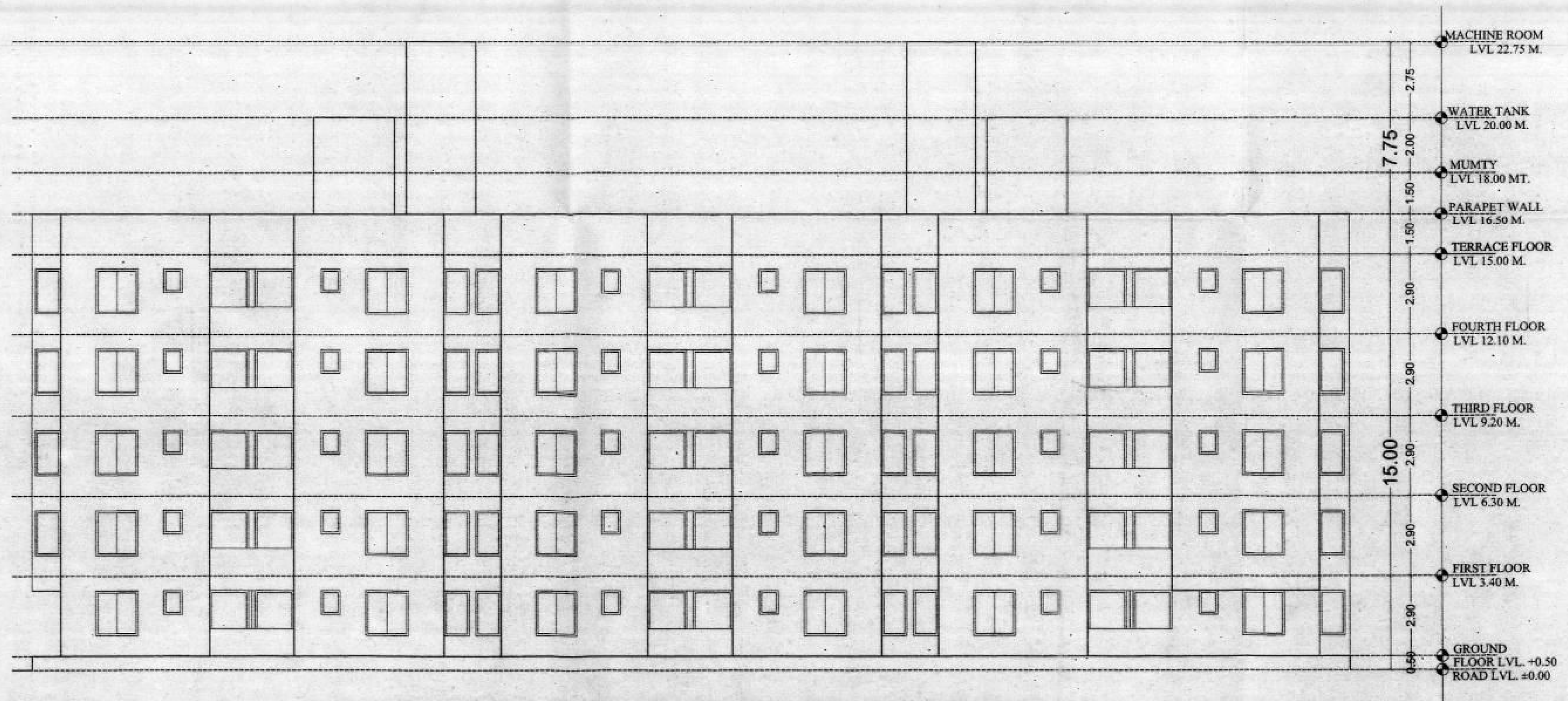

RIGHT SIDE ELEVATION

DRAWING TITLE

ELEVATION

PROJECT TITLE:-
PROPOSED E.W.S./L.I.G. BUILDING IN PLOT NO. C.M.- 1 IN KHASRA NO :- 73,74,75,77, 78, 80, 81, 90, 91 & 92 MIN PROVISION 3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJANA 2015 , VILLAGE - RAMCHANDRAPURA , TEHSIL - SANGANER , ON AJMER ROAD , JAIPUR

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705580

SCALE 1:150

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

SECTION AT A-A'

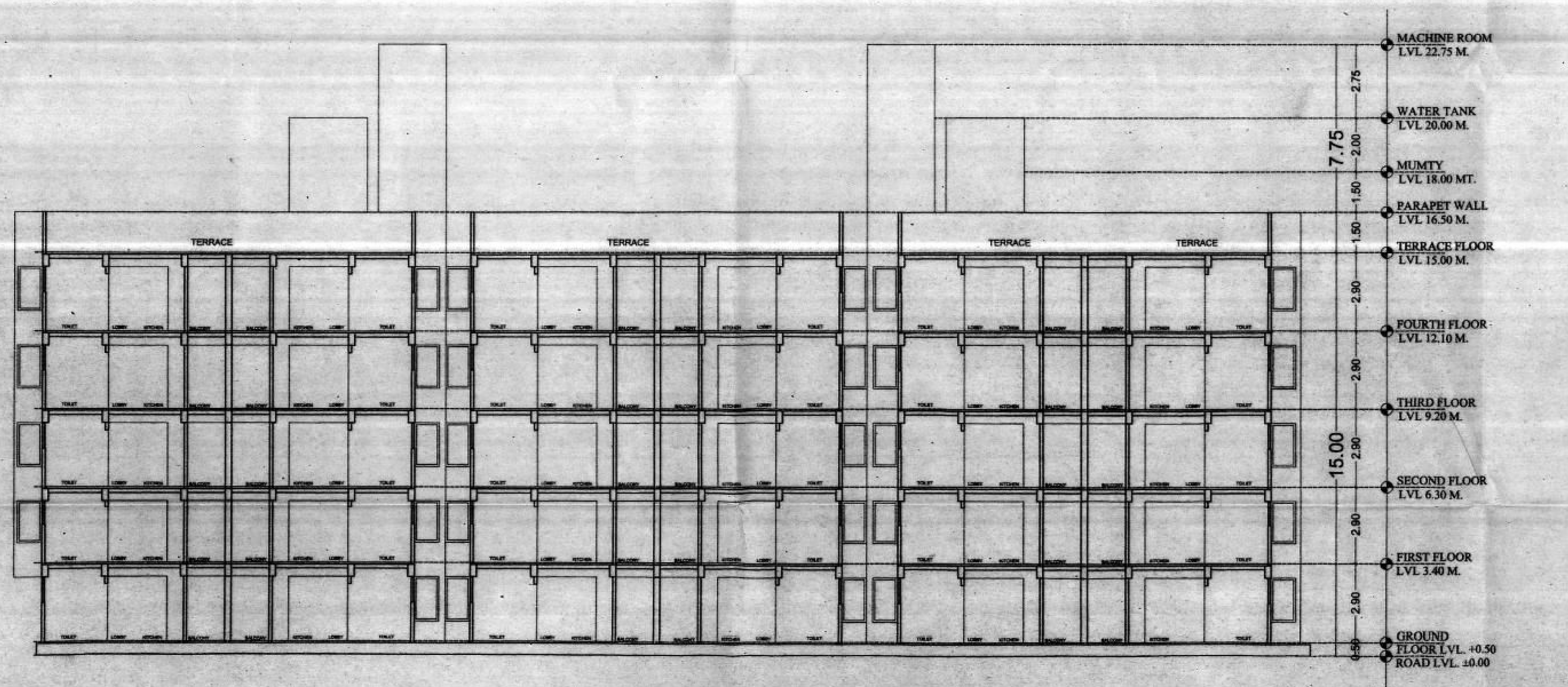

SECTION AT B-B'

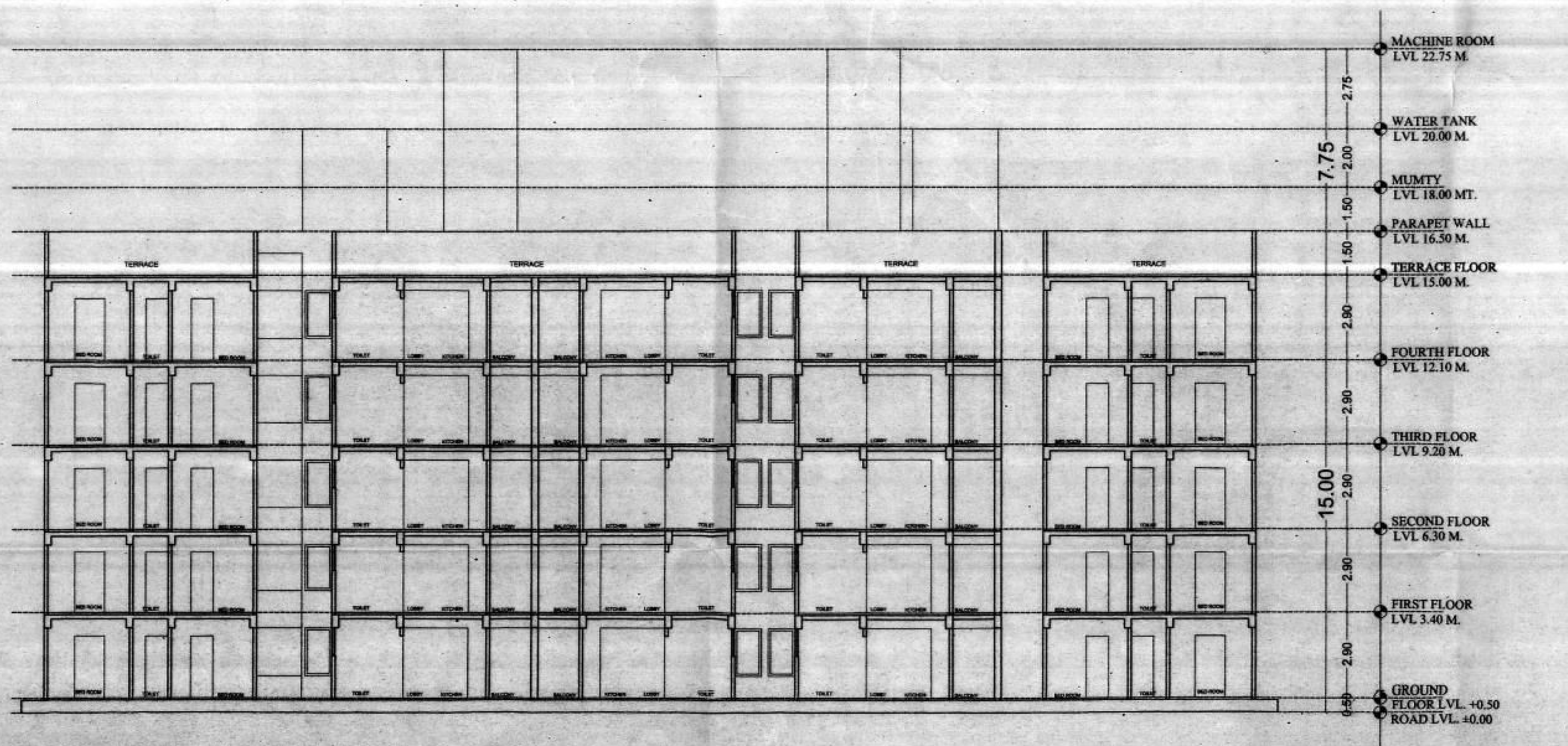

SECTION AT C-C'

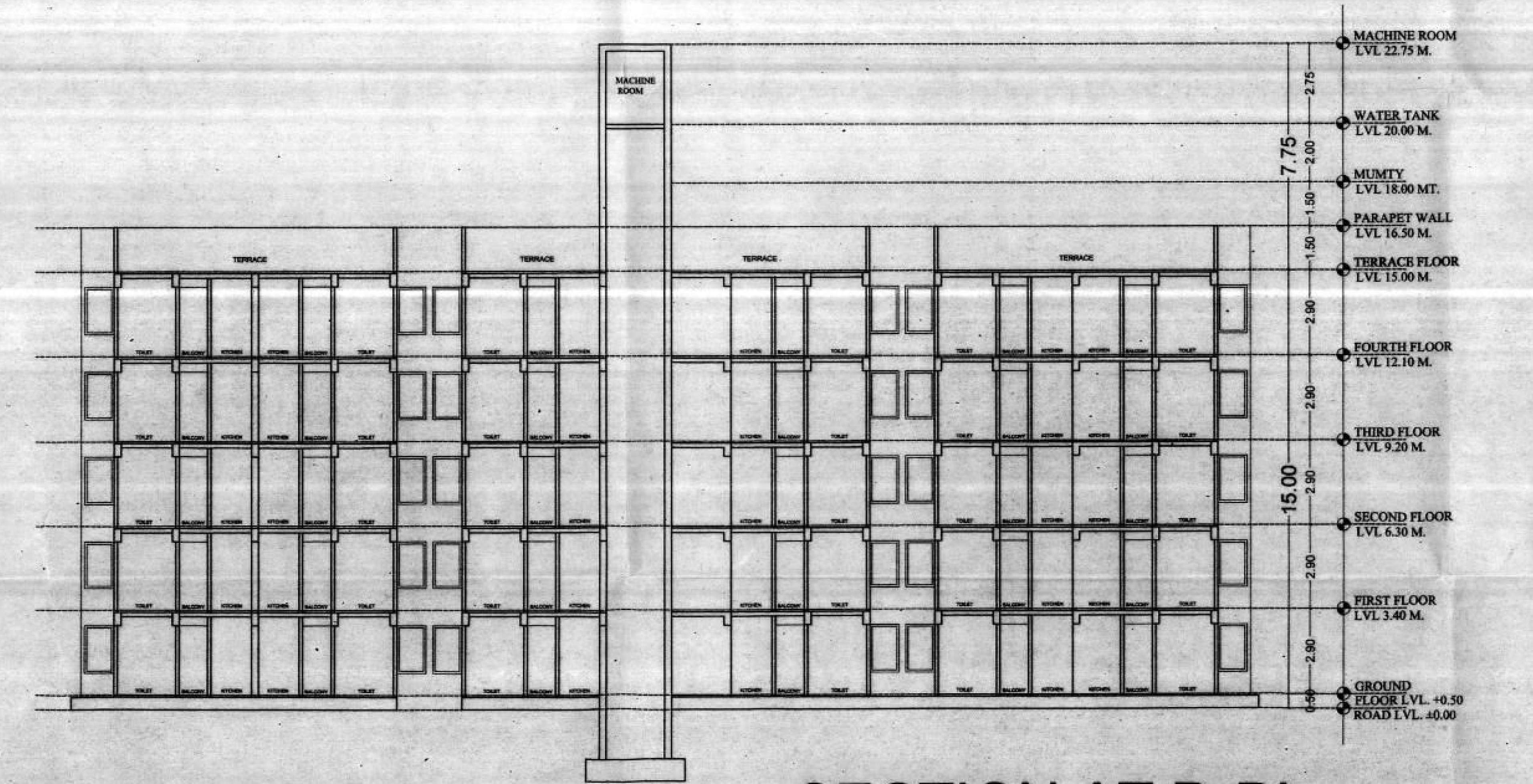

SECTION AT D-D'

SHEET NO. 06

SECTION

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 195 वीं बैठक दिनांक 28/7/2017 को लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक ज.वि.प्रा./स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-2012 दिनांक 14/9/2017 को अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

DRAWING TITLE

SECTION

PROJECT TITLE:-
PROPOSED E.W.S./L.I.G. BUILDING IN PLOT NO. C.M.- 1 IN KHASRA NO :- 73,74,75,77, 78, 80, 81, 90, 91 & 92 MIN PROVISION 3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJANA 2015 , VILLAGE - RAMCHANDRAPURA , TEHSIL - SANGANER , ON AJMER ROAD , JAIPUR

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705580

SCALE 1:150

NORTH POINT

For Unique Builders And Developers (AJAY)
Authorised Signatory

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER	ARCHITECT